न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –2/2023 (अपील)

किशोर आत्मज शम्भू जाति गुर्जर निवासी सनखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 06.10.2022 मि0नं0 256/2022 नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति–

1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–27.02.2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा ने ग्राम सनखेड़ा की भूमि खसरा नम्बर 160 की 0.80 हे0 किस्म पठार पर संवत 2079 में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 259/2022 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 400/– रूपये का शास्ति व तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 06.10.2022 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 20.12.2022 को जरिये अभिभाषक पेश की गई है । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट अदालत मातहत का आदेश विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अदालत मातहत ने आस पास के व्यक्तियों के बयान लेखबद्व किये बिना व शहादत लिये बिना व मौका मुआयना किये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर हुक्म जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस नहीं दिया है । अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता हे, मौके पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं रहा, कब्जा छोड़ दिया है । अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 160 की 0.80 हे0 किस्म पठार भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली एवं तीन माह (90 दिवस)के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है । अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है और अपीलान्ट की तरफ उक्त प्रकरण से सम्बन्धिति कोई राजकीय राशि बकाया नहीं है । तथा भविष्य में

जिला कलेक्टर
कोटा

कभी अतिकमण नहीं करने बाबत कथन किया । अदालत मातहत ने हुक्म जेर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है । अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को गिरफ़्तार करने गांव आने पर हुआ जिस पर दिनांक 15.12.2022 को नकल प्राप्त कर अपील पेश की जा रही है । अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावें । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें एवं सिविल कारावास के दण्ड को माफ किया जावें ।

4. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।

5. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.10.2022 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 20.12.2022 को पेश की गई है। जो अन्दर मियाद नहीं है किन्तु अपील में विलम्ब के लिए बताए गये कारणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि किशोर आत्मज शम्भू जाति गुर्जर निवासी सनखेड़ा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम सनखेड़ा की पठार भूमि खसरा नम्बर 160 रकवा 0.80 हैक्टेयर पठार में अनाधिकृत कब्जा काश्त किया है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल करते हुए 400/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

7. अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे तथा कब्जा हटाने की पुष्टि नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी स्वयं कर ले तो इस स्थिति में तीन माह (90 दिवस)के सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है। अपीलांट नियत अवधि में अण्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तथा मौके पर से कब्जा नहीं हटाया जाता है तो तहसीलदार अतिक्रमी अपीलांट को नियमानुसार सिविल कारावास की सजा भुगतायेगा ।

9. निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा